



(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र)

फरवरी-मार्च, 2025 की कार्यसूची

(खण्ड-01)

दिनांक- 07 मार्च, 2025

माँग संख्या - 41

आय-व्ययक शीर्षक - पथ निर्माण विभाग

1. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पथ निर्माण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 6806,53,49,000/- (छ: हजार आठ सौ छ: करोड़ तिरेपन लाख उनचास हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

2. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-3054, उप मुख्य शीर्ष-80 के लिए 23,43,23,71,000 रुपये की माँग 5,00,00,000 रुपये से घटाई जाय।

मित्यथिता पर विचार-विमर्श करने के लिए।

- 3-8. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अख्तरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार मिश्र, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक - पंचायती राज विभाग

9. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पंचायती राज विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11302,51,68,000/- (ग्यारह हजार तीन सौ दो करोड़ इक्कावन लाख अड़सठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 10-11. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-08

आय-व्ययक शीर्षक - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

12. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 277,18,68,000/- (दो सौ सतहत्तर करोड़ अठारह लाख अड़सठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 13-14. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक - पर्यटन विभाग

15. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पर्यटन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1103,90,82,000/- (एक हजार एक सौ तीन करोड़ नब्बे लाख बयासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

16. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

17. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1935,64,56,000/- (एक हजार नौ सौ पैंतीस करोड़ चौसठ लाख छप्पन हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

18. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

19. प्रभारी मंत्री, खेल विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "खेल विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 248,39,37,000/- (दो सौ अड़तालीस करोड़ उनचालीस लाख सैतीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ख्याति सिंह

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025- 515

/वि०स०, पटना, दिनांक- 06 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रीगण/ सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

M
6.3.25

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025- 515

/वि०स०, पटना, दिनांक- 06 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

M
6.3.25

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025- 515

/वि०स०, पटना, दिनांक- 06 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

M
6.3.25

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

इतिमाक
06.03.2025